भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *249
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब में भूजल संदूषण

***249. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः**
श्री शेर सिंह घुबायाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या पंजाब में भूजल पीने के लिए सुरक्षित नहीं है और इसके उपयोग से गंभीर रोग हो रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास भूजल की गुणवत्ता का परीक्षण करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) भूजल को संदूषित होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि कुछ भारी उद्योग बोरिंग के माध्यम से अपने अपशिष्टों को जमीन में डाल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ङ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार, राज्यों के साथ भागीदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान की जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके पंजाब सहित राज्यों की सहायता करती है। पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब राज्य में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है।

देश में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i) जल गुणवत्ता परीक्षण करने और सूचना देने, पेयजल स्रोतों की निगरानी, स्वच्छता सर्वेक्षण, प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि का विस्तार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों और स्थानीय ग्राम स्तर के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए 13.03.2021 को 'पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क' जारी किया गया है।

ii) जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन के 2% तक का उपयोग जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान,

उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता आदि जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

iii) जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए वर्ष में एक बार तथा बेक्टिरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए वर्ष में दो बार पेयजल स्रोतों का परीक्षण करने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी एवं पर्यवेक्षण में सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्लूक्यूएमआईएस पर सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर भी देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/

iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय समुदाय से प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं अर्थात आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के सदस्यों, शिक्षकों आदि को ग्राम स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने तथा पोर्टल पर सूचना देने के लिए प्रशिक्षित करें। जल गुणवत्ता हेतु एफटीके परीक्षण करने के लिए 24.77 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में 73.92 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं।

v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2160 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 53 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है।

vi) मार्च 2023 में पेयजल शोधन प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका जारी की गई थी ताकि सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सके जिससे स्थानीय मुद्दों और जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पेयजल शोधन संयंत्रों के कार्यनिष्पादन और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि वह अपने स्वयं के जल आपूर्ति स्रोतों का नियमित परीक्षण अर्थात् रासायनिक मापदंडों के लिए एक बार और बेक्टिरियोलॉजिकल संबंधी मापदंडों के लिए दो बार (मानसून पूर्व और मानसून पश्चात्) परीक्षण करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, पंजाब द्वारा जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर सूचित किए गए अनुसार, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 33,107 जल नमूनों और फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके

1,46,504 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है। दिनांक 09.12.2024 तक, राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक प्रयोगशालाओं में 46,397 नमूनों और एफटीके का उपयोग करके 1,01,793 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

(ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में भूजल गुणवत्ता सुधार/संदूषण के उपचारण को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i) सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकडे विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (http://www.cgwb.gov.in) के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं। आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ आंकड़ें साझा भी किए जाते हैं।

ii) पंजाब राज्य में 50369 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण अध्ययन किए गए हैं। एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के आधार पर भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा जिला प्राधिकारियों के साथ रिपोर्टें साझा की गई हैं।

iii) सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) के अंतर्गत भूजल में आर्सेनिक जैसे विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी, संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और राज्य के विभागों को फ्लोराइड न्यूनीकरण के संबंध में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

iv) सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आवधिक रूप से आयोजित की जा रही हैं।

पंजाब राज्य सरकार ने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य से एक समर्पित भूजल प्रबंधन निदेशालय की स्थापना भी की है।

(घ) और (ङ): पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों सहित सभी उद्योगों की अधिदेश अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से निगरानी और भौतिक जांच की जा रही है। पीपीसीबी के रिकार्ड के अनुसार कोई भी उद्योग बोरिंग के माध्यम से अपने तरल अपशिष्ट को भू-सतह पर नहीं बहा रहा है।

****